



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230117
CG-DL-E-01102021-230117

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3726]
No. 3726]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4060(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3392(अ) तारीख 18 अगस्त, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में तारीख 18 अगस्त, 2021, को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित शब्द "चौड़ा करने /चार लेन का बनाने " के स्थान पर संशोधित शब्द "चौड़ा करने / छः लेन का बनाने " को उल्लेखित किये जाने / पढ़े जाने के सम्बन्ध में।

[फा. सं. 11033/GKP/NH-28/LA-Gorakhpur Bypass(Six Lane)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

S.O. 4060(E).—In exercises of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification

of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3392 (E) dated the 18th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th August, 2021, namely:-

In relation to the mentioning / reading of the amended words widening / six laning in place of the words widening / four laning mentioned in the above notification.

[F. No. 11033/GKP/NH-28/LA-Gorakhpur Bypass(Six Lane)]

RAJESH GUPTA, Director